अंतरिक्ष विभाग / भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए नागरिकों हेतु उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

इसरो वेबसाइट (http://ww.isro.gov.in) पर वार्षिक रिपोर्ट, स्पेस इंडिया, प्रेस विज्ञप्ति, वर्तमान और पिछले अध्यक्षों के बायोडाटा, प्रायोजित अनुसंधान, आदि और अं.वि./ इसरो से संबंधित अन्य जानकारियां उपलब्ध हैं।

यूआरएससी, वीएसएससी, एसडीएससी-शार, सैक, आदि की प्रदर्शनियां, जिन्हें देखकर आम जनता भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है तथा अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के अर्थभेद को समझ सकते हैं।

केंद्रों द्वारा आयोजित किए जाने वाला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तथा विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कार्यक्रम, जिसमें विद्यार्थी तथा आम जनता भाग लेते है तथा इस कार्यक्रम के दौरान विज्ञान एवं अंतरिक्ष विषयों पर विद्यार्थियों के लिए निबंध लेखन, वाद-विवाद, मॉडल मेकिंग एवं क्वीज़ आयोजित की जाती है।

स्नातक स्तर के छात्रों के लिए इसरों के प्रमुख केंद्रों का औद्योगिक दौरा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें उन्हें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आने वाली विविध चुनौतियों के बारे में बताया जाता है।

भारतीय अंतिरक्ष कार्यक्रम पर सूचना प्रदान करने वाली विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आयोजित होने वाली प्रदर्शनियों, तकनीकी सम्मेलनों, सार्वजनिक मेलों में भी इसरो भाग लेता है।

अंतिरक्ष के साथ-साथ अंतिरक्ष अनुप्रयोग परियोजनाओं में भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाले वीडियो कैप्सूल तैयार कर दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाते हैं और संग्रहालयों तथा इच्छुक शैक्षिक संस्थानों और सरकारी विभागों आदि को उपलब्ध कराए जाते हैं।

आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश

आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत, सूचना प्राप्त करने का अनुरोध, दस रुपए के एक आवेदन शुल्क के साथ, सी.पी.आई.ओ./ वैकल्पिक सी.पी.आई.ओ. या ए.पी.आई.ओ. को भेजा जाना चाहिए (आर.टी.आई. पोर्टल में दी गई सूची के अनुसार)। सूचना प्राप्त करने के लिए कोई निर्दिष्ट आवेदन पत्र नहीं है।

शुल्क भुगतान का साधन:

एक आवेदक को भारतीय डाक आदेश (आई.पी.ओ.) या डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) या बैंकर्स चेक द्वारा रु. 10/- के शुल्क का भुगतान करना होगा जो विरष्ठ लेखा अधिकारी/ लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी के नाम देय हो तथा इसे संबंधित सी.पी.आई.ओ./ वैकल्पिक सी.पी.आई.ओ. अथवा संबंधित ए.पी.आई.ओ. को भेजा जाना चाहिए, जिसके नाम पर आवेदन पत्र संबोधित किया गया हो। यदि आवेदक नकद द्वारा आवेदन शुल्क जमा करना चाहता हो तो, उसे संबंधित सी.पी.आई.ओ./ वैकल्पिक सी.पी.आई.ओ./ए.पी.आई.ओ. के लेखा अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा तथा रसीद प्राप्त करनी होगी। मूल रसीद को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा और इसे सी.पी.आई.ओ./ वैकल्पिक सी.पी.आई.ओ./ संबंधित ए.पी.आई.ओ. को प्रस्तुत करना होगा।

नोट: गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) के वर्ग से संबंधित आवेदकों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी बी.पी.एल. प्रमाणपत्र के सत्यापित प्रति को प्रस्तुत करना होगा।

स्रोत: आर.टी.आई. कोष्ठ, अं.वि./इसरो म्.